2

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–25/2023–24

सरकार

बनाम्

जयकांत यादव वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक 11/8/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या–46/2023 दिनांक–04.03.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–1933/अप0शा0 दिनांक–26.04.2023 से धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775 एवं उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं के मालिक जयकान्त

यादव, पिता–उपेन्द्र यादव, सा0–महादेवकित्ता, पो0–धर्मोडीह, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775, के मालिक रूपेश कुमार, पिता–उपेन्द्र कुमार यादव, सा0–महादेवकित्ता, पो0–धर्मोडीह, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775 एवं उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी जयकांत यादव कथन है कि मामला दर्ज होने के बाद विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश के आलोक में अग्रिम जमानत प्राप्त हो गया है और चूँकि विपक्षी का जप्त वाहन व्यसायिक वाहन है एवं थाना परिसर पर खुले स्थान में रखे रहने के कारण खराब होने की संभावना है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी रूपेश कुमार का कथन है कि जप्त बोलेरो से विपक्षी बालू का परिवहन कैसे कर सकता है? जप्त वाहन पर बालू नहीं पाया गया है। इसलिए विपक्षी पर कोई भी अपराधिक मामला नहीं बनता है। विपक्षी का जप्त बोलेरो निजी वाहन है और उसका उपयोग निजी कार्य के लिए करते हैं। उन्होंने जप्त बोलेरो का विमुक्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर महागामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तो के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे

अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17D-4416	01	100	4000.00	8000.00	50000.00	58000.00

एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तो से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या-JH17E-0775, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तो से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Confiscation No. 25-2023-24

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:46:41 +05:30
Location: 192.168.1.33